न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—**राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
अपील संख्या—**21 / 2023**
जी.सी.एम.एस. नं.— **2023 / 288**

1. रोशन कंवर पत्नी बच्चनसिंह उम्र 71 साल जाति राजपूत निवासी ढाणी मालावाली हाल मालनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत आगवाड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ।
2. बोदू पुत्र भैरू
3. भागीरथ पुत्र भैरू
4. रूड़ा पुत्र भैरू

जति गुर्जर निवासी नीमावाली (मालनगर) नीमकाथाना

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत आगवाड़ी दिनांक 26.10.1995 बाबत नामान्तकरण संख्या 51ग्राम कुरबड़ा।

उपस्थिति :— अपीलान्ट रोशन कंवर पत्नी बच्चनसिंह राजपूत

निर्णय

दिनांक :— 20/3/2025

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि पुराने ख.नं. 688 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भूदोली की खातेदारी अपीलान्ट के पति बच्चनसिंह व बागसिंह, उमरावसिंह, मालसिंह पुत्रगण गंगूसिंह राजपूत के नाम अंकित थी, जिन्होनें उक्त भूमि में से आधी भूमि भागीरथ, बोदू, रूड़ा पुत्रगण भैरू कौम गुर्जर निवासी झाणी मालावाली तन भूदोली रेस्पो. नं. 2 ता 4 को दिनांक 21.04.1977 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर विक्रित भूमि का कब्जा सम्भला दिया था। शेष भूमि पर अपीलान्ट का पति व अन्य हिस्सेदार काबिज काश्त रहे है।

पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 51 दर्ज किया गया व सहवन से सम्पूर्ण भूमि की बाबत दर्ज कर दिया गया। जबकि विक्रय पत्र में सम्पूर्ण भूमि का विक्रय नहीं किया गया था। बिना किसी जॉच के विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 20.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

10.1995 को तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 51 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत आगवाड़ी दिनांक 20.10.1995 बाबत नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम कुरबड़ा निरस्त फरमाया जाकर, तहसीलदार नीमकाथाना को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1977 पुनः नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने हेतु आदेश फरमाया जावे।

उक्त तथ्यों के साथ अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वास्ते सुनवाई रेस्पो. जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. नं. 1 बाद तामील अनुपस्थित रहा है। रेस्पो. 2 ता 4 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहवन से सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज हो गया जो दुरूस्त कर दिया जावे।

अपीलान्ट को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत नामान्तकरण एवं विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1977 का अवलोकन किया गया। विक्रय लेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि खातेदारान द्वारा अपनी 3 बीघा 15 बिस्वा में से एक बीघा साढे सत्रह बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया है। अर्थात आधी जमीन खातेदारान द्वारा विक्रय की जाकर कब्जा सम्भलाया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. उभय पक्षों का कथन है कि नामान्तकरण सं. 51दिनांक 20.10.1995 ग्राम कुरबड़ा को भरते समय रेस्पो. सं. 2 ता 4 अर्थात क्रेता के सम्पूर्ण भूमि का दर्ज कर दिया गया जो गलत है। रजिस्ट्री के अनुसार हिस्सा सही दर्ज नहीं हुआ है। नामान्तकरण सं. 51 गलत भरा जाकर तस्दीक किया गया है यह तथ्य उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाकर राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराया गया है। इस प्रकार रेस्पो. 2 ता 4 द्वारा अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के एवं प्रस्तुत दस्तावेजात राजीनामा के अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत आगवाड़ी का आदेश दिनांक 20.10.1995 बाबत नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम कुरबड़ा अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1977 अनुसार पक्षकारान को सुनकर बाद जांच नामान्तकरण पुनः दर्ज किया जाकर तस्दीक करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible] या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)